न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महो, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग. प्र.क्रं.– निग॰ 3180-I/16 सन् 2016

देवकीनंदन तिवारी तनय श्री लक्षमन प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम महतौल, तहसील नौगॉव, जिला–छतरपुर (म.प्र.) ....निगरानीकर्ता

बनाम

1 .श्रीमती दरकशा पत्नी श्री शहनवाज नि.नारायणपुरा रोड़, छतरपुर, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.)
2. सुबराती तनय हनीफराईन निवासी छतरपुर,तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.)
3 .श्रीमती अनीता पत्नी पीर मुहम्मद निवासी छतरपुर, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.)
4 .श्रीमती शांति पुत्री श्री शंकर लाल धोबी निवासी ग्राम सौरा, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.)
5 .रमेश तनय मठोलेप्रसाद गुप्ता नि. चौबेअस्पाताल छतरपुर, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.)
6 .वीरेन्द्र तनय बल्देवप्रसाद चतुर्वेदी
7 .नीरज तनय लक्ष्मन दास मोर
8 .हतपन स्वरूप तनय ब्राम्हस्वरूप

तीनो निवासी गण चौबे अस्पाताल के पास छतरपुर, जिला–छतरपुर(म.प्र.)

9 .नवीन तनय माखनलाल अग्रवाल नि. बार्ड नं 9 छतरपुर, तहसील व जिला–छतरपुर(म.प्र.)
10 .संदीप तनय अलखचन्द्र चौरसिया नि. स्टेटबैक के पास गढ़ीमलहरा, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर म.प्र.
11 .अमित तनय उदय चन्द्र ताम्रकार नि. तमराई मुहल्ला, छतरपुर, तह. व जिला–छतरपुर(म.प्र.)
12. नीरज तनय किशोर लाल अरजरिया नि. सौरा रोड छतरपुर, तह. व जिला–छतरपुर(म.प्र.)
13 .शासन म.प्र.

.... गैरनिगरानीकर्ता / उत्तरवादीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता

निगरानी विरूद्व अपील प्र.क्रं. 799 / अपील / अ–27 / 14–15 आदेश दिनांक 4.09.15 अपर आयुक्त महो, सागर म.प्र. श्रीमती दरकशा पत्नी श्री शहनवाज बनाम सुबराती बगैरह !

महोदय ,

निगरानीकर्ता देवकीनंदन तिवारी तनय श्री लक्षमन प्रसाद तिवारी निम्नलिखित निगरानी सादर पेश करता हूँ कि :–

क्रमशः .... 2 पर

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3180 -एक/2016 जिला-छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा-वषक आदि के हस्ताक्षर
21 -5 -2016	यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा उनके समक्ष लंवित अपील प्रकरण क्रमांक 799/अ-27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 4-9-2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है. 2. प्रकरण केंसंक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैभूमि सर्वेक्रमांक 452 ,453,459,460,462,463, 465, 464,465,466,467, 489,492,493,494, 494, 501,502, 2223कुल कीता 21कुल रकबा 4.092 हेक्टर मौजा सौरा तहसील व जिला छतरपुर का बंटवारा तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ-27/12-13आदेश दिनांक28-01-2014 को किया गय.उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त की गयी.उपरोक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपर आयुक्त ने दिनांक 4-9-2015को विवादित आदेश पारित किया गया. उक्त आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है. 3. आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में पुनरीक्षण आवेदन पत्र में वर्णित तर्को पर बल देते हूए बताया कि अपर आयुक्त न्यायालय में सभी पक्षकारों को पक्षकार नही बनाया गया है.इस कारण से उनके समक्ष प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य ही नही थी. ऐसी अपील में मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता	अ

1959 में किये गये नवीन संशोधनों पर विचार न करते हूए अन्य आदेश तक स्थगन आदेश जारी किया गया है. जो कि विचाराधिकार रहित होकर संहिता के प्रावधानों के विपरीत है. इस कारण अपर आयुक्त द्वारा प्रदत्त आदेश निरस्ती योग्य है.

4.आवेदक अधिवक्ता के तर्को एवं प्रस्तुतत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया.अवलोकन करने से यह प्रमाणित होता है कि अपर आयुक्त द्वारा जो स्थगन आदेश जारी किया गया है वह मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 में किये गये नवीन संशोधन 2011 क्रमांक 42 सन2011 दिनांक 30-12-2011 जिसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी राजस्व न्यायालय स्थगन आदेश एक बार मे तीन मास से अधिक के लिये या अगली सुनवायी की तारीख तक जो भी पूर्ववत हो, नही रोका जावेगा.अर्थात स्थगन आदेश केवल तीन माह तक के लिये ही जारी किया जा सकता है. इससे अधिक अवधि के लिये दिया गया स्थगन स्वतःही शून्यवत हो जाता है. उपरोक्त संशोधन के प्रकाश में अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा जारी अनिश्चित कालीन स्थगन आदेश विधि के उपरोक्त प्रावधान के प्रकाश में शून्यवत हो जाने से उसे स्थिर रखा जाना उचित नही पाता हूॅ. अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 4-9-2015 निरस्त किया जाता है. उनके द्वारा प्रदत्त स्थगन समाप्त किया जाता है.उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वे दो माह में प्रकरण का निराकरण करे.तदनुसार यह निगरानी निराकृत की जाती है. प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो.

सदस्य